मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन पर सख्त रूख दर्शाते हुए इन गतिविधियो के नियंत्रण के लिए की जा रही कार्यवाही हेतु समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

अवैध खनन पर राज्य सरकार सख्त

आकस्मिक संयुक्त अभियान से होगी अब अवैध खनन पर रोकथाम- मु.मंत्री

- अवैध खनन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्मिक राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी के लिये ड्रोन व अत्याधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेंड के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

जयपुर, 2 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है।

अब राज्य सरकार इस पर सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी, जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का यह दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण समर्पण भाव से करें तथा राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं तथा लाखों लोगों को खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है।

शर्मा ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तथा अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी हो, जिससे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-सैंड नीति के तहत बजरी के विकल्प के रूप में एम-सैंड को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रदेश में एम-सैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रुप में एम-सैंड के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे बजरी के दोहन में कमी आए। उन्होंने कलैक्टरों से जिलों में चल रही अवैध खनन की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली तथा दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए तथा अवैध खनन पर अंकुश लगे, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत ने अवैध खनन के संभावित खनिज एवं संवेदनशील जिले, अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही के प्रावधान, गत पांच वर्षों में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के विरूद्ध की गई कार्यवाही, संस्थागत तंत्र, अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों तथा जिलों की भूमिका सहित, विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक यू आर साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल सहित, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, तथा सभी जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से बैठक से जुड़े।

चीता प्रोजैक्ट के लिए राजस्थान और म.प्र. के बीच एमओयू होगा

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुकुंदरा हिल्स व बूँदी-रामगढ़ रिज़र्व के लिये 9 टाइगर आयेंगे

- वन मंत्री ने कहा कि चीता प्रोजैक्ट के लिय अधिकारियों ने पूरा ट्रैक निश्चित किया है।

कोटा, 2 अप्रैल (निसं)। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा बुधवार को कोटा दौरे पर रहे। दोपहर में सर्किट हाऊस पहुंचकर उन्होंने कुछ देर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद रंगबाड़ी स्थित शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निवास पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने उनके भतीजे भंवरलाल दिलावर के देहांत पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। मंत्री संजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीता प्रोजेक्ट के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास फाइल गई है। फाइल पर सीएम की अनुमति मिलने के बाद फाइल आगे बढ़ेगी और राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच एमओयू हो जाएगा। इसके बाद, टाइगर मध्यप्रदेश में चला जाएगा, वहीं, मध्यप्रदेश से चीता राजस्थान में आ जाएगा। अधिकारियों ने पूरा ट्रैक निश्चित किया है। इसमें कौन से जिले और एरिया शामिल होंगे, यह जानकारी हम बाद में बता पाएंगे।

कोटा के मुकुंदरा हिल्स और बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन कब लाई जाएगी, इस संबंध में मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश और उत्तराखंड सरकार से राजस्थान सरकार की बात हुई है।

भारत सरकार से अनुमति मिल गई है, जल्द ही टाइगर की सौगात विभाग को मिलेगी। इसके लिए 9 टाइग्रेस हमको मिलने वाली हैं। इसमें दो एमएचटीआर में आएंगे, शेष सरिस्का और आरवीटीआर में जाएंगे। टाइगर के लिए प्रे बेस की आवश्यकता होती है। उसके लिए एंक्लोजर बनाए गये हैं और नेचुरल फूड उपलब्ध है, जिससे टाइगर के सर्वाइवल की गारंटी भी होगी। संजय शर्मा ने कहा कि बीते साल 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। हमने इससे ज्यादा 7.22 करोड़ लगा दिए हैं। इसमें अन्य विभागों ने भी सहयोग किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ पौधे का लक्ष्य दिया है। यह काम भी हम पूरा करने वाले हैं। बारां जिले में खेर की लकड़ी काटने का मामला आया है। इस संबंध में जयपुर से ही एक अधिकारी को नियुक्त किया है। वह इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे तथा जो भी तस्करी में शामिल होगा, उस पर कार्यवाही की जाएगी। इनमें अगर वन विभाग के अधिकारी भी होंगे तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा।

आपको बता दें कि इस मामले में रेंजर और अन्य कार्मिकों पर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में विधायक ललित मीणा ने भी मंत्री शर्मा को जानकारी दी है। वन मंत्री संजय शर्मा ने "एक पौधा एक दिन" अभियान छेड़ा हुआ है। इसके तहत, उन्होंने अनंतपुरा स्थित वन विभाग की नर्सरी में पौधा भी लगाया है। ऐसे में अनन्तपुरा में नर्सरी के पीछे स्थित खाली जमीन और अतिक्रमण हो चुकी जमीन के संबंध में भी उन्होंने अधिकारियों से पूछताछ की है।

लालू यादव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया था। वर्ष 2022 में सिंगापुर में किडनी प्रत्यारोपण हुआ था, बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दान की थी। उसके बाद लालू की सक्रियता कुछ बढ़ी भी थीं, लेकिन बढ़ती उम्र उन्हें बीमारियों से उबरने नहीं दे रही। वर्ष 2014 में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई थी। उसके साथ ही उन्हें खान-पान और रहन-सहन में कई तरह का परहेज करना पड़ रहा है।

बता दें कि बुधवार सुबह जानकारी सामने आई थी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबियत बिगड़ गई है और उन्हें अचनाक दिल्ली रवाना होना पड़ रहा है। हालांकि, वे दिन में नहीं जा सके थे और उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

यूनुस चटगांव बंदरगाह को चीन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रखनी होगी।

यूनुस ने चीन को अपना चटगांव बंदरगाह इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, जो बंगाल की खाड़ी में है। इससे चीन को बंगाल की खाड़ी में जमने में मदद मिलेगी।

इससे भारत के लिए चीन की चुनौती खड़ी हो जाएगी। यूनुस के इन संदेशों को भारत को गंभीरता से लेना चाहिए और इन खतरों से निपटने के लिए मीटिंग करनी चाहिए।

चटगांव भारत से कुछ ही दूरी पर है। यही नही, यहां के लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग मुसलमान नहीं है और इनकी सहानुभूति भारत के साथ है। आज भी त्रिपुरा की कई जातियां चटगांव के आसपास के एरिया से होने का दावा करती हैं। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तब और बाद में, बांग्लादेश के गठन के बाद से ही, इन लोगों को अपनाने की बजाय इनका उत्पीड़न हो रहा है।

अब बांग्लादेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है और इस क्षेत्र में अलग होने की मांग जोर पकड़ रही है। इस क्षेत्र को लोगों का इस्तेमाल कर भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए।

त्रिपुरा के कई आदिवासी नेता मांग कर रहे हैं कि भारत को चटगांव के आदिवासियों का रैस्क्यू करना चाहिए, जिनका बांग्लादेश सरकार उत्पीड़न कर रही है। ये लोग बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।

असम के मुख्यमंत्री हेमन्त बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर राज्यों व शेष भारत के बीच कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तरी बंगाल में जो सिलीगुड़ी कॉरीडोर (चिकन्स नैक) है, उसे मजबूत किया जाए, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला केवल वही है। एक आदिवासी संगठन तिपरा मोथा ने बेहद आक्रमक तेवर दिखाए व कहा कि चटगांव के पहाड़ी भागों को भारत में मिला लेना चाहिए।

'सदन में और रामलीला मैदान में कही बातों में अन्तर होता है

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रैवंत रैड्डी के वि.सभा में, "उपचुनाव नहीं होगा", बयान पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रूख

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सदन में कुछ कहा जता है तो उसमें पवित्रता होती है। सदन में दिया गया बयान कानून की व्याख्या के लिए प्रयुक्त हो सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भारत राष्ट्र समिति के नेताओं द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कही।

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ओर से सदन में दिए गए इस बयान पर कि अगर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक कांग्रेस में शामिल होते हैं तो भी उपचुनाव नहीं होंगे, पर बुधवार को कड़ी आपत्ति जताई।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सदन में मुख्यमंत्री के इस बयान के लिए उनकी खिंचाई की। पीठ ने कहा, "यदि यह सदन में कहा जाता है तो आपके माननीय मुख्यमंत्री दसवीं अनुसूची का मजाक उड़ा रहे हैं। "रामलीला मैदान" में राजनेताओं द्वारा कही गई बात सदन में कही गई बात से अलग है।

पीठ ने कहा, "जब राजनेता विधानसभा में कुछ कहते हैं तो उसमें कुछ पवित्रता होती है। वास्तव में निर्णय/ निर्णयों में कहा गया है कि जब हम कानूनों की व्याख्या करते हैं, तो सदन में भाषण देने वाले माननीय मंत्री के बयान का उपयोग उस कानून की व्याख्या के लिए किया जा सकता है।"

विधायी कार्यवाही पर न्यायिक जांच से संवैधानिक रूप से गारंटीकृत प्रतिरक्षा का हवाला देते हुए बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 पार्टी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी, इस पर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज्य में कोई उपचुनाव नहीं होगा।

रेड्डी ने 27 मार्च को कथित तौर पर यह बयान राज्य विधानसभा में 2025-26 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए दिया।

शीर्ष न्यायालय बीआरएस नेताओं केटी रामा राव और पाडी कौशिक रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने वाले 10 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता कार्यवाही पर तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समय पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश (बुधवार को सुनवाई के दौरान) वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम ने अदालत को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बयानों से अवगत कराया।

तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि उसने पाया कि वह सुकविता और सिसोदिया को जमानत दिए जाने के अपने कथित बयान से संबंधित एक अन्य मामले में पहले भी मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए थे।

राष्ट्रपति मुर्मु विदेश यात्रा पर जायेंगी

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि मुर्मु पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर 7-8 अप्रैल तक पुर्तगाल की यात्रा करेंगी। यह यात्रा 27 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही हैं। पिछली बार 1998

- वे 7-8 अप्रैल को पुर्तगाल तथा 9-10 को स्लोवाकिया की यात्रा करेंगी।

में राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने पुर्तगाल की राजकीय यात्रा की थी। मुर्मु डी सूसा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और नेशनल असेंबली (संसद) के अध्यक्ष जोस पेड्रो अगुआर-ब्रैंको से भी मुलाकात करेंगी। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के निमंत्रण पर मुर्मु 9-10 अप्रैल को स्लोवाक गणराज्य का भी दौरा करेंगी। भारत के राष्ट्रपति की 29 वर्षों में स्लोवाकिया की यह पहली यात्रा होगी।

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

जस्टिस संजय करोल व प्रशांत कुमार मिश्रा की बैंच ने यह आदेश दिया

- बैंच, गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। गुजरात हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के, महिला को एकमुश्त दस लाख रूपए गुजारा भत्ता देने के आदेश को कायम रखा था, जिसके खिलाफ महिला के पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे को न्याय मित्र घोषित किया है।

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़े सवाल पर विचार करेगा। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे को कानून के सवाल पर अदालत की सहायता करने के लिए एमिकस क्यूरी न्याय मित्र नियुक्त किया है, 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है कि क्या फैमिली कोर्ट ऐसी मुस्लिम महिला को स्थायी गुजारा भत्ता दे सकती है, जिसकी शादी मुस्लिम विवाह भंग अधिनियम, 1939 के अनुसार भंग हो गई है और क्या महिला के पुनर्विवाह पर इस तरह के स्थायी गुजारा भत्ता को संशोधित किया जा सकता है?

जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले में उठने वाले "मुद्दों के महत्व पर विचार करते हुए" ये आदेश पारित किया। पीठ 19 मार्च, 2020 के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। फैमिली कोर्ट ने मुस्लिम महिला को तलाक की डिक्री के साथ-साथ 10 लाख रुपये का स्थायी आजीवन एकमुश्त गुजारा भत्ता दिया गया था। पिछली सुनवाई में पीठ ने पक्षों को मोहम्मद अब्दुल समद मामले में 2024 के फैसले को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया था। तेलंगाना राज्य ने माना कि मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण मांगने का अधिकार है। दरअसल, फैमिली कोर्ट ने 2001 के मामले पर भरोसा करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक मुस्लिम पति तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए उचित और उचित प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें जाहिर तौर पर उसका भरण-पोषण भी शामिल है।

यह माना गया था कि इद्दत अवधि से परे इस मामले में अदालत ने 1986 के अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा। 1986 में कहा गया कि तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला इद्दत अवधि के दौरान भुगतान की जाने वाली उचित राशि की हकदार है। यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है और इद्दत अवधि के बाद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है तो वह अन्य बातों के अलावा भरण-पोषण का दावा करने की भी पात्र है। गुजरात हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एक आदेश पारित किया। इसने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि मुस्लिम महिला ने पुनर्विवाह कर लिया है।

'शिवाजी ने कोई मस्जिद नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक आदर्श शासक, आदर्श पिता थे... वह 100 प्रतिशत धर्मनिरपेक्ष थे, जिन्होंने कई युद्ध जीते लेकिन कभी किसी मस्जिद को नष्ट नहीं किया।"

उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कोई बड़ा नेता बनता है, तो वह जाति और धर्म की बात करने लगता है। मैं लोगों को चेतावनी देता हूं कि जाति और धर्म की बात न करें। इस कार्यक्रम में मंत्री ने 'द वाइल्ड वॉरफ्रंट' पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद संस्करण का विमोचन किया। जिसे विश्वास पाटिल ने लिखा है और नदीम खान ने अनुवाद किया है।

मुस्लिम महिलाओं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दबी पड़ी है, वह बाहर आ जाएगी।

इससे हम गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। इन महिलाओं ने कहा कि इस विधेयक का विरोध नहीं होना चाहिए।

इस बीच राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री एवं भोपाल के नरेला क्षेत्र से विधायक विश्वास सारंग ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रदर्शन वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, भोपाल की मुस्लिम महिलाएं वक्फ बिल के समर्थन में... शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी...

ओम बिड़ला भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को यहां भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में नीति निर्माता, शिक्षाविद, शिक्षक, एडटेक इनोवेटर, उद्योग जगत के नेता और छात्र, भारतीय शिक्षा के उभरते परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे।

प्रमुख सुधारों, चुनौतियों और भविष्य के अवसरों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के शिक्षा क्षेत्र को वैश्विक प्रगति के साथ जोड़ना है।

जैम व ज्वैलरी निर्यात को भारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा बाज़ार को अस्थिर कर सकती है।"

वित्तीय वर्ष 2024 में अमेरिका को 11.1 बिलियन डॉलर के इलैक्ट्रोनिक्स के निर्यात किए गए थे, जो अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 14 प्रतिशत है। भारत के कुल इलैक्ट्रॉनिक निर्यात का 32 प्रतिशत अमेरिका के खाते में है, ऐसे में टैरिफ में वृद्धि इस क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है, विशेष रूप से भारत में असैम्बल होने वाले आईफोन जैसे मोबाइल फोन निर्यात पर। विश्लेषकों द्वारा चेतावनी दी गई है कि एपल जैसी कंपनियाँ भारत में अपनी उत्पादन रणनीतियों पर पुनर्विचार कर सकती हैं।

भारत के 33 बिलियन डॉलर के रत्न और जवाहरात और कुल आभूषण निर्यात का 30 प्रतिशत अमेरिका को होता है, जिसमें हीरे और सोने के आभूषण शामिल हैं। भारी टैरिफ इस क्षेत्र को नुकसान पहुँचाएगा, जिसके परिणामस्वरूप निर्माता अपना काम सिंगापुर या यू.ए.ई. जैसे कम टैरिफ वाले देशों में ले जा सकते हैं। एम.के. ग्लोबल ने चेतावनी दी है कि निर्यात में महत्वपूर्ण गिरावट के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नौकरियाँ जा सकती हैं।

- फार्मास्युटिकल उद्योग, ऑटोमोबाइल व कृषि उत्पादनों की भी लगभग यही व्यथा हो सकती है।

भारत, अमेरिका के लगभग आधे जैनरिक दवा निर्यात की आपूर्ति करता है और इस कारण अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। पैंतीस प्रतिशत टैरिफ इस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन, 10 प्रतिशत से कम टैरिफ का भारतीय फार्मा स्टॉक्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, अमेरिका के खरीददारों पर टैरिफ लागत स्थानांतरित करने की भारत की क्षमता कुछ हद तक नुकसान की भरपाई कर सकती है।

हालांकि, भारत से अमेरिका को ऑटोमोबाइल का निर्यात बहुत अधिक नहीं है, लेकिन, ऑटो कॉम्पोनैंट्स का निर्यात कुल निर्यात का 27 प्रतिशत है। यदि टैरिफ लगाया गया तो टाटा मोटर्स को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तथापि, इस क्षेत्र का डायवर्सिफाइड एक्सपोर्ट मूल नुकसान को कुछ कम कर सकता है।

भारत से अमेरिका को होने वाला टैक्सटाइल और एपरल (परिधान) एक्सपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024 में 9.6 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो कि इस क्षेत्र के कुल निर्यात का 28 प्रतिशत है। ऐसे में टैरिफ में वृद्धि भारत को अमेरिका के बाज़ार से बाहर कर सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि इस सैक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऊपर से, सस्ते विकल्प देने वाले, बाँग्लादेश व वियतनाम जैसे देश भारत की स्थिति को और कमज़ोर कर सकते हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशक (फॉरेन इन्टिट्यूश्नल इन्वैस्टर) भारत में विदेशी पूँजी के आगमन पर बनी अनिश्चितता के कारण स्टॉक मार्केट असंतुलित व अस्थिर महसूस कर रहे हैं। तथापि, विश्लेषक सतर्क लेकिन आशावदी बने हुए हैं। भारत की मजबूत कॉर्पोरेट बैलैंस शीट, व्यापार वार्ताएं, तथा रूपए का अवमूल्यन कुछ राहत दे सकते हैं। डायवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बेस (विविध निर्यात आधार) कुछ क्षेत्रों को टैरिफ के बुरे प्रभावों से बचा सकता है।

जैसे-जैसे टैरिफ डैडलाइन नज़दीक आ रही है, पूरी दुनिया सांस रोके बैठी है।

क्या ट्रंप संपूर्ण टैरिफ वॉर शुरु करेंगे, या फिर यह व्यापार संघर्ष में एक और रणनीतिक कदम है। परिणाम जो भी हो, अगले कुछ महीनों में यह भारत की आर्थिक दिशा को आकार देगा, यह तय करने में मदद करेगा कि यह टैरिफ संकट है या आर्थिक सुधारों के लिए एक अप्रत्याशित अवसर।

'श्री शुभम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और ओरिगो का भण्डारण निगम के खिलाफ 70 करोड़ के भुगतान के लिए 'आरबिट्रेशन' में मामला लम्बित चल रहा है। इसी मामले में भण्डारन निगम ने दोनों कंपनियों के खिलाफ 202 करोड़ रूपये का दावा किया है।

लोकसभा में वक्फ बिल पेश, सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जैसा नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने कहा, वर्ष 2013 में यूपीए सरकार की ओर से वक्फ कानून में लाये गये संशोधन में यदि गंभीर खामियां न होती, तो इस विधेयक की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस संशोधन की वजह से ही दिल्ली की लुटियन ज़ोन की 123 अति महत्वपूर्ण संपत्तियों को वक्फ को हस्तांतरित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 2013 में पूरे देश में वक्फ की जमीन 18 लाख एकड़ थी, उसके बाद इसमें 21 लाख एकड़ की वृद्धि हो गयी है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के बाद, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे विभिन्न राज्यों में गांव और मंदिरों और चर्चों की जमीन को वक्फ भूमि घोषित किया जाने लगा। यहां तक कि प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के लिए भी वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया गया।

शाह ने कहा, दान उसी चीज का किया जाता है, जो हमारी हो, मैं सरकारी संपत्ति या किसी दूसरे की संपत्ति को दान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि देश के कई गणमान्य चर्च इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, वक्फ की सम्पत्ति लाखों करोड़ रु. की है, पर आमदनी मात्र 126 करोड़ रुपये ही है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमाये बैठे चंद लोग उन्हें 100-100 साल की लीज पर होटलों और अन्य कामों के लिये औने-पौने दाम पर दूसरों को दे रहे हैं।

शाह ने कहा कि वक्फ का मुतव्वली वक्फ संपत्ति का प्रबंधक होता है, अगर कोई वक्फ की संपत्ति के साथ बेईमानी कर रहा है तो क्या उसे कानून के अनुसार सजा नहीं होनी चाहिये।

शाह ने कहा कि वक्फ कानून में वर्ष 2013 में किये संशोधन के अनुसार, वक्फ के मामलों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इस संशोधन विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं कि कोई चाहे तो वक्फ के निर्णयों को अदालतों में चुनौती दे सकता है। इस विधेयक के अनुसार, मुसलमान भी चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकेंगे, वे इस ट्रस्ट के लिये पंजीकरण करा सकेंगे।

बहस के दौरान, विपक्ष के नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध किया। इनमें सबसे पुरजोर विरोध अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को जमीन से बेहद प्यार है। इसकी सरकारों ने रेलवे और डिफैंस की जमीने बेच दीं। अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, उनकी बातों को अहमियत नहीं देना, इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होगी।

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित हुआ तो इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाईटेड (जदयू) दोषी होगी।

किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी जन सुराज वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ है। यदि मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लिए बिना वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया जाता है तो यह पूरी तरह से गलत होगा।

इससे पहले, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजीजू ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, ऑनलाइन, ज्ञापन, अनुरोध और सुझाव के रूप में कुल 97,27,772 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। 284 डेलिगेशन ने कमेटी के सामने अपनी बात रखी और सुझाव दिए। सरकार ने उन सभी पर विचार किया है। वक्फ की संपत्ति के बारे में रिजीजू ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन और लाखों करोड़ की संपत्ति है, तो देश के गरीब मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? रिजिजू ने कहा कि रेलवे और सेना की जमीन पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसका इस्तेमाल देश के लिए होता है। वह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। बता दें कि रेलवे और सेना के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। वक्फ बोर्ड आज देशभर में करीब 8 लाख 70 हजार संपत्तियों को नियंत्रित करता है। ये संपत्तियां करीब 9 लाख 40 हजार एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं जिनकी अनुमानित कीमत 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908